IV - 25

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 198087

वरिष्ठ कोषाधिकारी

17 NOV 2014

गाजीपुर

दस्तावेज ट्रस्ट (न्यास)

बाल गोपाल ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 13.05.2015 ग्रा0–मधुबन पोस्ट–मलिकपुरा विकास खण्ड मनिहारी परगना शादियाबाद तहसील–जखनियां जिला–गाजीपुर (उ0प्र0) में श्रीमती हंसा देवी **पत्नी श्री गोपी सिंह यादव** ग्रा0–मधुबन पोस्ट–मलिकपुरा विकास खण्ड मनिहारी परगना शादियाबाद तहसील–जखनियां जिला–गाजीपुर (उ0प्र0) द्वारा घोषित किया गया। जिसे न्यासकर्ता /संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक पर रुपया 5000/(पांच हजार रुपये मात्र) की राशि है। जिसे की वह पुरुषार्थ सामाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रुप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा क्योकि यह ट्रस्ट **बालगोपाल ट्रस्ट** के नाम जाना जायेगा तथा कार्य करेगा ,जिसे की आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा । क्योकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे की आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों से दान ,उपकार ,ऋण आदि

हंसा देवी

क्रमशः........2

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CG 198088

भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं साधनों को और बढायें ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रुप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 5000/(पांच हजार रुपये मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है। और क्योकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्रा0–मधुबन पोस्ट–मलिकपुरा विकास खण्ड मनिहारी परगना शादियाबाद तहसील–जखनियां जिला–गाजीपुर (उ0प्र0) रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय ग्रा0–मधुबन पोस्ट–मलिकपुरा विकास खण्ड मनिहारी परगना शादियाबाद तहसील–जखनियां जिला–गाजीपुर (उ0प्र0) अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय का समयानुसार समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा । क्योकिं न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धारावद्ध घोषित किया जा सकता है ।

हंसा देवी

क्रमशः.........3

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AD 572445

बाल गोपाल ट्रस्ट

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली –

ट्रस्ट के उद्देश्य –ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों के पूर्ति के लिए कार्य करेगा ।

1. विना लिंग भेद किये सबके लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक पाठशाला,जूनियर हाई स्कूल ,इण्टरमीडिएट कालेज ,महाविद्याल,पी0जी0 कालेज, बी0एड0, बी0पी0एड0, बी0टी0सी0,सी0बी0एस0ई0,आई.एस एससी,एन.सी.ई.आर.टी द्वारा संचालित विद्यालय व महाविद्याल की व्यवस्था एवं संचालन व ,पुस्तकालयों,वाचनालयों प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों ,अनाथालयों,वृद्धाआश्रमों ,अनुसंधान केन्द्रों,छात्रावासों,कम्प्यूटर केन्द्रों ,निराश्रित केन्द्रों,सर्वेक्षण केन्द्र,सामुदायिक विकास केन्द्रों,पर्यावरण,एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना करना, नामकरण विकास,सम्बद्ध आवद्ध,प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों विभागों प्रतिष्ठानों ,संस्थाओं शासन आदि से उन मान्य सम्बद्ध आवद्ध पंजीकृत,अनुमोदित स्वीकृत करा सकना ।
2. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना ।

हंसादेवी

क्रमशः......4

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 32AC 672446

3. खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।

4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर ... करना ।

5. उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना ।

6. महिला एवं बाल विकास,एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम का संचालन करना ।

7. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना ।

8. कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना ।

9. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन ,समाज कल्याण ,नाबार्ड ,कपार्ट ,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड,महिला कल्याण,नेहरु युवा केन्द्र,खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय,ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रमों का संचालन करना

10. आई0आई0टी0,आई0टी0आई,फार्मेसी,नर्स ट्रेनिंग,आपरेशन ,टेक्निशियन,लैब टेक्निशियन ,फिजीयोंथीरैपी आदि मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना ।

हंसा देवी

क्रमशः......5

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये
रु.10
TEN RUPEES
Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11. समाज के लोगों के लिए हास्पिटल नर्सिंग होम स्वास्थ्य केन्द्र [illegible]
स्टोर,किराना की दुकान फोटो स्टेट,टाइपिंग ,कम्पनी फर्म इत्यादि को [illegible]

12. पुस्तकालय वाचनालय पत्र–पत्रिकाओं समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण ,बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना ।

13. अंधे,गूंगे,बहरे,असहाय लोगों के लिए शिक्षा चिकित्सा ,आवास ,भोजनकी व्यवस्था व,पुनर्वास,की स्थापनाएवं संचालन करना ।

14. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला ,वाणिज्यक वैज्ञानिक ,क्रीड़ा,मार्शल आर्ट ,संगीत ,तकनीकी ,सामाजिक ,आधुनिक ,भाषा अंगेजी ,उर्दू ,कम्प्यूटर प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना ।

15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन ,अध्यापन आवास आदि सुविधाओं का व्यवस्था करना ।

16. पुस्तको साहित्य,पत्रों पाठ्यक्रमों आदि का सृजन सम्पादन प्रकाशन,मुद्रण वितरण आदि कर सकना

17. सांस्कृतिक कार्यक्रम ,पर्यावरण कार्यकम ,एड्स कार्यकम ,अधिवेशन , गोष्ठियों सम्मेलन प्रतियोगिताएं ,बैठकें,विशेष कक्षाएं सत्र प्रोत्साहन कार्यकम आदि आयोजित कर सकना ।

18. सिलाई ,कढाई ,बुनाई ,स्किन प्रिटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना ।

कमशः.......6

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible] 672448

19. व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी ट्रस्ट द्वारा संचालित [illegible]
कालेजों, विधि महाविद्यालयों ,इंजीनियरिंग कालेजों के [illegible]
उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना ।

20. ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय [illegible]
व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना ।

21. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार–प्रसार कर सकना ।

22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार कर सकना ।

24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना ।

25. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार –प्रसार कर सकना ।

26. पुस्तक,पुस्तिकाएं,पत्र,पत्रिकाएं समाचार–पत्र आदि को प्रकाशित,सम्पादित वितरित व विक्रय कर सकना ।

27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं / वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क / मुल्य / निर्धारित करना तथा प्राप्त करना ।

28. पत्राचार द्वारा अध्यापन ,अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्था कर सकना ।

29. उपभोक्ता अधिकार पर्यावरण सुधार ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना ।

30. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोधार कर सकना ।

31. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यकमों का आयोजन कर सकना तथा कियान्वयन कर सकना

इन्द्रा देवी

कमशः.......7

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH -07- 672449

32. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता ,स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना ।

33. विभिन्न संस्थाओं / विद्यालयों / महाविद्यालयों / मेडिकल कालेज / इंजीनियरिंग कालेजों प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना ।

34. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना,विनियोजित करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना ।

35. ट्रस्ट जन सामान्य के द्वितीय कार्य करेगा । ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवाएं /वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा । ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क खडन्जा तालाबों का निर्माण ,मछली पालन ,पशुपालन आदि का कार्य एवं प्रचार कर सकना ।

36. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नही करेगा जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा ।

37. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही व्यय करेगा ।

38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लिनीक का निर्माण करना ।

39. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना। फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना

40. संगठन को मजबूत एवं क्रियाशील बनाने के लिए जिला प्रदेश देश स्तर पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना ।

इन्द्रा देवी

क्रमशः........8

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICI

UTTAR PRADESH

32AC 672450

41. दलित पिछड़ों अल्प संख्यको का संगठन बनाकर समाज में फैली बुराईयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर,राजनैतिक स्तर, आर्थिक स्तर को मजबूत बनाना ।

42. धरना ,प्रदर्शन कार्यक्रम ,गोष्ठी ,सम्मेलन, सेमिनार ,वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात शासन –प्रशासन तक पहुंचाना ।

43. शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हास्टलों का निर्माण करना ।

44. संविधान के तहत मानवाधिकार एवं उसके नियम किया–कलापों के बारें मे जानकारी प्रदान करने की कार्य प्रणाली को विकसित करना ।

45. ट्रस्ट राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा संस्था व कर्मचारी सेवा नियमावली के परिप्रेक्ष्य में जो आदेश निर्गत किये जायेगे ,संस्था उनका पालन करेगी । ट

46 ट्रस्ट द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नही कि जायेगी और पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्रापत है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन नई दिल्ली/ कौसिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन प्राप्त होने की तिथि से परिषद मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतःसमाप्त हो जायेगा।

47. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा, राज्य सरकार द्वारा अनु0जाति/अनु0जनजाति के छात्रो हेतु राज्य सरकार व केन्द्र द्वारा शुल्क नियमावली में छूट व देय का पालन होगा ।

कमशः........9

इन्द्रादेवी

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 672451

प्रारम्भिक उपबन्ध –

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से **श्रीमती हंसा देवी** जो कि न्यासकर्ता एवं न्यास विलेख के रचयिता भी है को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।
2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष **श्रीमती हंसा देवी** द्वारा रजिस्ट्रार के यहॉं रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो **श्रीमती हंसा देवी** की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी ही इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होगी।
3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तर दायित्व अपने उत्तराधिकारी को स्थानान्तरित कर सकते है ।
4. किसी भी नेये ट्रस्टीयो के चयन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को 1000/एक हजार का बैक ड्राफ्ट (ट्रस्ट के नाम) बनवाकर आवेदन करना होगा। जिसे ट्रस्टीयों के समक्ष रखा जायेगा । ट्रस्टीयों द्वारा 3/4 बहुमत से स्वीकृत होने पर उसे ट्रस्टी बनाया जा सकेगा। किसी कारण से ट्रस्टी न बाये जाने की सिथति में आवेदन की धनराशि वापस कर दी जायेगी।
5. किसी ट्रस्टी के ट्रस्ट से पद मुक्त करने की शर्ते निम्न है ,मृत्यु,ट्रस्ट के विरूद्ध कार्यो में संलिप्त पाये जाने किसी न्यायालय द्वारा 2 वर्षो से ज्यादा सजा दिये जाने या ,पागल होने पर,दिवालिया होने पर,व्यभिचारी होने पर ,त्याग–पत्र देने पर पद मुक्ति/निष्काषित किया जा सकता है ।

हंसा देवी

कमशः.......10

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [illegible]AC 672452

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी / हस[illegible]

1. मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल मे अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे ।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष का पद किसी अन्य व्यक्ति को अधिकतम एक वर्ष के लिए प्रदान कर सकता है ।
3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगें तो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष के प्रदत्त किया गया ।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष पद पर ट्रस्टी के उतराधिकारी ही इस ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष रहेगें । नव नियुक्त मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष रहेगें को 6 माह के भीतर 3/4 बहुमत प्राप्त करना होगा । अन्यथा की स्थिति में किसी भी ट्रस्टी 3/4 बहुमत के आधार पर मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनाया जायेगा ।बहुमत के आधार पर नये ट्रस्टी के चयन होने तक ट्रस्टी के उतराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष बने रहेगें।
5. मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष को चाहिए की वह अपने उत्तराधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष लिखित रुप से अपने हस्ताक्षर कर के व्यक्त कर दें । मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्ध में की गई वसीयत /इच्छा /व्यवस्था ही अन्तिम रुप से मान्य होगी ।

हस्तादेवी

क्रमश....11

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

672453

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेज़िंग ट्रस्टी /अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रुप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नही कर सकेगा ।

7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंन्त्र है जब तक कि वास्तविक रुप से कार्य भार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें ।

8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया ,कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा ।

(4) बोर्ड आफ ट्रस्टीज –

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है,जिसमें अधिकतम 15 सदस्य होगें

2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा । ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी बिना किसी को कोई कारण बताए ट्रस्टीयों की राय /बहुमत से ट्रस्टी के पद से हटा सकता है ।

3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष स्वंय करेगा ।

4. यह कि बोर्ड आफ उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

हेमादेवी

कमश.............12

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

672454

5. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है । इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, के द्वारा लिया गया ,निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा ।

(5) <u>अध्यक्ष /मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएं :-</u>

1. यह कि अध्यक्ष/ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी । इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रुप से मान्य होगा ।

2. यह कि ट्रस्टी /अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय /भत्ते आदि पर कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी /अध्यक्ष स्वंय अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा । ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नही होगा ।

(6) कार्य क्षेत्र :-

ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है। अथवा सहायता व राय दे सकता है।

(7) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार :-

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि यह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिए गये निर्णय में हस्तक्षेप कर

इन्दादेवी

क्रमशः.......13

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये रु.10
TEN RUPEES Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AC 672455

निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के कार्य–कलापो में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है। जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने विशेषाधिकार के तहत 5ट्रस्टीयों का चयन अपने सम्पूर्ण जीवन काल में बिना आवेदन शुल्क या प्रस्ताव पर उनकी सहमति पर कर सकता है ।

(8)सचिव/उप सचिवों की नियुक्ति :–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्या को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उप सचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि सचिव/उप सचिवों के वेतन, भत्ते सुविधाएं, कार्य नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेगें।
3. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगें। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बतायें उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधिक/आवश्यकता अनुशासनात्मक / प्रशंसनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तब्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

कमशः......14

हंसा देवी

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AC 672456

(9)उपाध्यक्ष की कि नियुक्ति :–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्य को करनें व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगा।

2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते सुविधाएं कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगें।

3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगें। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक अनुशासनात्मक,प्रशंसनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा उक्त पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित प्रदान कर सकता है।

(10) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :–

यह कि ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष /ट्रस्टी के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होंगे :–

(क) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

(ख) ट्रस्ट के समस्त कार्यो का उत्तरदायी ढंग से देख–रेख करने के लिए उपाध्यक्ष सचिव उप सचिवों की नियुक्ति करना।

(ग) इस ट्रस्ट डीड मे उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत होनें की दिनांक से मान्य होगा।

इन्द्रा देवी

क्रमश............15

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये
रु.10
TEN RUPEES
Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AC 672457

(11) उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–

अध्यक्ष /ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नही ले सकता ।

(12) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :–

ट्रस्ट के समस्त कार्या के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं :–

1. ट्रस्ट के उदेश्यों की पूर्ति करनें हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यो हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पद मुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक प्रशंसनात्मक कार्यवाही करना।
4. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करनें हेतु कोष्ठो/विभाग केन्द्रो/ संस्थाओं /उप संस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों, पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।
5. ट्रस्ट संख्या को प्राप्त किसी शिकायत की जॉच निर्णयक नियुक्त कर सकना।
6. एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त हाने की दशा में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विकय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजनों को कर सकना।

(13) उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. सचिव की अनुपस्थिती में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उनके अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उनको लिखित रूप से प्राप्त है।
3. सचिव द्वारा लिखिति रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना ।

कमश.........16

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10 भारत INDIA TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JU...

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(14) **बैंक एकाउन्ट :–**

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशो के अन्तर्गत खाता खोल सकता है।अथवा संचालित कर सकताहै।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय /महाविद्यालय /संस्थान /केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

(15) **विधिक कार्यवाही :–**

यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई भी कार्यवाही की जाती है। या उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्त एवं विभिन्न न्यायालयो में पैरवी या अन्य किसी को अधिकृत कर सकता है।

(16) **सम्पत्ति सम्बन्धी :–**

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकृत रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।
2. ट्रस्ट चल की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई भी निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति क्रय–विक्रय कर सकता है। रेहन रख सकता है। किराये पर दे सकता है। ले सकता है।
5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेट सम्मान पुरस्कार, स्मृत चिन्ह मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है।

क्रमशः.....17

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH -17- 32AC 672459

6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है। सुरक्षित कर सकता है। किसी बैंक,संस्था,कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।
7. चल/अचल सम्पत्ति की प्रत्यीभूत भाड़ा क्रय अनुज्ञप्ति बन्धक भारिती गिरवी, विभाजित आदि कर सकता है/ले सकता है दे सकता है।
8. ट्रस्ट को संस्था आगे बढाने हेतु 12ए, 80जी,10/23,की संस्तुति प्राप्त कर संचालन करना।

(18) प्रतिबन्धों की बाध्यता/प्रतिबन्ध

क– संस्था/विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

ख– संस्था/विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

ग– संस्था/विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगें और उनसे उत्तर प्रदेश ,माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा ।

घ– संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मॉग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन ,नई दिल्ली / कौसिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

ड– संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम से वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगें ।

च– कर्मचरियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उ0मा0 विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेगे ।

इन्सादेवी

क्रमशः.......18

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AC 672460

छ– राज्य सरकार द्वारा समय– समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगें संस्था उनका पालन करेगी ।

ज– संस्था/विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा । यदि हाँ तो कृपया प्रबन्धधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि संस्था/विद्यालय का विभाग /शासन के सभी प्रतिबन्ध कम एक से आठ तक स्वीकार है ।

झ– आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा ।

(19) **विशेष :–**

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यकम /ईकाइ/कार्यालय /संस्था उपकम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम उपनियम बनाये जा सकते हैं। परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट **बाल गोपाल ट्रस्ट** के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिकमण करते हैं तो वह नियम या उपनियम अतिकमण की सीमा तक शून्य होंगें।

(ख) अध्यक्ष/ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी /किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्हीं प्राविधानों/को शिथिल कर सकते हैं। तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। (इसधारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी भी कार्यवाही को कहीं भी किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी।

(ग) **बाल गोपाल ट्रस्ट** की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित **बाल गोपाल ट्रस्ट** के उद्देश्य एवं नियमावली एतदद्वारा अधिनियमित घोषित स्वीकृत आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है। कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझ कर व्यवहार में लाने हेतु ट्रस्ट का स्वरुप बनाकर जो अग्रलिखित है ट्रस्ट के संचालन हेतु उत्तरदायी होगे निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

कमशः.......19

इन्द्रादेवी

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AC 672461

ट्रस्ट का स्वरुप

क्र०सं०	नाम / पिता का नाम	पता	पद	पेशा
1	श्रीमती हंसा देवी पत्नी श्री गोपी सिंह यादव	ग्रा0मधुबन पो0 मलिकपुरा जनपद गाजीपुर	मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष	समाजसेवा
2	गोरख यादव पुत्र श्री शिवशंकर यादव	ग्रा0रामदासपुर पो0भीमापार गाजीपुर	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3	गोपी सिंह यादव पुत्र स्व किशुनचन्द यादव	ग्रा0मधुबन पो0 मलिकपुरा गाजीपुर	सचिव	समाजसेवा
4	गोरख यादव पुत्र स्व0राजा यादव	ग्रा0झोटारी,पो0 धामूपुर गाजीपुर	उपसचिव	समाजसेवा
5	चन्द्रदेव यादव पुत्र श्री सीता यादव	ग्रा0झोटारी,पो0 धामूपुर गाजीपुर	सदस्य	समाजसेवा
6	अरुण कुमार पाण्डेय पुत्र श्री रामचन्द्र पाण्डेय	ग्रा0रामदासपुर पो0भीमापार गाजीपुर	सदस्य	समाजसेवा
7	सोती यादव पुत्र श्री गरीब यादव	ग्रा0 छपरी पो0 सिखडी जनपद गाजीपुर	सदस्य	समाजसेवा

Rakesh
टंकणकर्ता
राकेश कुमार शर्मा

साक्षीगण :–

नाम : अनिल कुमार यादव s/o रामदास यादव
पता : शेफीपुर जखनियाँ गाजीपुर

नाम : अम्बिका यादव S/ राजपत यादव
पता : सुलेमानपुर पो० बाजिदपुर गाजीपुर
दिनांक :–

श्रीमती हंसा देवी
(संस्थापक / अध्यक्ष / ट्रस्टी)

हंसा देवी

मसविदाकर्ता
विक्रमा राम
एड०,
जखनियाँ गाजीपुर

हंसा देवी